पत्रांक : 2136 /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0कर/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016

:: परिपत्र ::

मुख्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4422/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0 क0/ 2015–16 दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड होटलों में सुख साधन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले होटल स्वामियों हेतु पंजीयन संख्या के रूप में टिन आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर अधिनियम तथा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम हेतु एक ही रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसके कारण इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत जारी होने वाले पंजीयनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मुख्यालय के परिपत्र संख्या 6124/आयु0क0उत्तरा0वाणि0क0/ विधि–अनुभाग /15–16 दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इसी कम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1118/आयु0क0उत्तरा0वाणि0क0/ विधि–अनुभाग/16–17 दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा संवेदनशील मामलों में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन हेतु भी निर्देश निर्गत किये गये थे **(छायाप्रति संलग्न)**।

उपरोक्त के अनुक्रम में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रशासित की जाने वाली कर व्यवस्थायें यथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर अधिनियम तथा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा प्रशासित कर व्यवस्था के अन्तर्गत सभी व्यापारियों हेतु एक ही आई0डी0 (Single ID) अर्थात टिन जारी किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं। यह भी निर्देशित किया जाता है कि एक ही व्यापारी द्वारा अलग–अलग कर व्यवस्थाओं में पंजीयन प्राप्त करने पर उक्त व्यापारी को एक ही टिन जारी किया जाए तथा जारी किये गये टिन के अन्तर्गत ही सन्दर्भित व्यापारी द्वारा एक से अधिक कर व्यवस्थाओं में अपना व्यापार–व्यवसाय परिचालित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2136 /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर–निर्धारण) तथा वाणिज्य कर अधिकारी को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर अधिनियम तथा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम के सम्बन्ध में अपेक्षानुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथा उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करायें।
4– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

5– डिप्टी कमिश्नर मनोरंजन कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त मनोरंजन कर अधिकारियों को मनोरंजन कर के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करें।

6– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

7– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।